न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या– 381/17 तारीख रज्जू–06/11/17

1. प्रभूलाल पुत्र गोपी जाति मीना निवासी ग्राम करेला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. हंसा पुत्र गोपी जाति मीना निवासी ग्राम करेला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
3. हीरालाल पुत्र गोपी जाति मीना निवासी ग्राम करेला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
4. रामसहाय पुत्र गोपी जाति मीना निवासी ग्राम करेला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
5. रामधन पुत्र गोपी जाति मीना निवासी ग्राम करेला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

-----अपीलान्ट्स

बनाम

1. भोमराज पुत्र शंकर जाति मीना निवासी ग्राम करेला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. प्रेमराज पुत्र शंकर जाति मीना निवासी ग्राम करेला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
3. सावंरया पुत्र शंकर जाति मीना निवासी ग्राम करेला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
4. रामपाली बैवा गोपी जाति मीनना निवासी ग्राम करेला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
5. सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी महोदय, टोंक।

------रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 29.8.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम धुडासी के नामान्तकरण संख्या 37 में पारित निर्णय दिनांक 24/07/97 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी टोक ने ग्राम धुडासी में गोपी पुत्र सुखपाल की स्थित खातेदारी भूमि गोपी के फौत हो जाने पर उक्त भूमि का विरासत नामान्तकरण तस्दीक किया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 37 में पारित निर्णय दिनांक 24/07/97 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अपील न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते मूल रिकोर्ड तलबी न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा मूल रिकोर्ड प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि साबिक खं0नं0 231/3 रकबा 10 बीधा 12 बिस्वा बदरी, श्रीकिशन, श्रीनारायण, लक्ष्मीनारायण पिसरान गंगाधर मीना हिस्सा 1/2 व गोपी पुत्र सुखपाल मीना 1/2 वाके ग्राम धुडासी तहसील व जिला सवाई माधोपुर में खातेदारी दर्ज रिकोर्ड रही है। गोपी पुत्र सुखपाल उर्फ कल्याण के अपीलान्ट के पिता है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 शंकर पुत्र गोपी पुत्र सुखजी मीना के पुत्र व रेस्पों नं04 गोपी पुत्र सुखजी मीना की पत्नि है। गोपी पुत्र सुखपाल उर्फ कल्याण व गोपी पुत्र सुखजी एक ही गांव करेला के निवासी है। गोपी पुत्र सुखजी जिसके कि रेस्पोडेन्टस् वारिसान है। उनकी मृत्यु 1990 में ही हो गई थी एवं उसकी मृत्यु के उपरांत नामान्तकरण संख्या 299 दिनांक 07/05/90 से उनकी विरासत का नामान्तकरण भी शंकर रेस्पोंडेन्टस् के पिता तथा रामपाली के पक्ष में खुल गया था। अपीलान्ट के पिता गोपी पुत्र सुखपाल उर्फ कल्याण मीना के फोत हो जाने पर गलत मृत्यु प्रमाण पत्र व पंचायत प्रमाण पत्र के आधार पर हमारे पिता का विरासत नामान्तकरण गलत खोला गया है। जो निरस्त योग्य है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 37 में पारित निर्णय दिनांक 24/07/97 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टस् ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त विरासत नामान्तकरण ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर खोला गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है, साथ ही नामान्तकरण सं0 37 में पारित निर्णय दिनांक 24/07/97 यथावत करने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि गोपी पुत्र सुखपाल उर्फ कल्याण व गोपी पुत्र सुखजी एक ही गांव करेला के निवासी है तथा अलग-अलग व्यक्ति है तथा गोपी पुत्र सुखपाल जिसकी ग्राम धुडासी में खातेदारी भूमि स्थित थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को न सुनकर निर्णय पारित किया है। जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अदालत मातहत द्वारा उभय पक्षों को सुना जाकर ही नियमानुसार गोपी पुत्र सुखपाल के वास्तविक वारिसान की जांचकर नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। जिसका अदालत मातहत की पत्रावली में अभाव पाया गया है।

अतः मेरे अभिमत मैं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण संख्या 37 निर्णय दिनांक 24/07/97 वाके ग्राम धुडासी निरस्त किया जाता है, साथ ही अदालत मातहत को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उभय पक्षों की सुनवाई कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 29.8.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर